

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 846 जयपुर/2003-05

यह प्रमाणित किया जाता है कि विजय लक्ष्मी शिशु
सामिति, जयपुर अचरोल जिला जयपुर
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक इक्कीस माह मार्च सन दो हजार चार
चार को जयपुर में किया गया।



NW
रजिस्ट्रार संस्थाएं

रजिस्ट्रार संस्थाएं

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1. © 23 2751352
जयपुर 2751417

NW
सचिव

विजय लक्ष्मी शिशु समिति
अचरोल, जयपुर (रा.न.)